

अतिमहत्व पूर्ण/तत्काल
कार्यालय, जिला विद्यालय निरीक्षक, लखीमपुर-खीरी

पत्रांक: आशु0लि0/ 3735-39 /2023-24

दिनांक: 27 जुलाई, 2023

प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या,
राजकीय/आशासकीय सहायता प्राप्त/
वित्तविहीन मान्यता प्राप्त./ हाईस्कूल एवं इण्टर कालेज,
केवल विकास खण्ड, बेहजम एवं मितौली,
लखीमपुर-खीरी

विषय- विकास खण्ड बेहजम व मितौली में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को निःशुल्क जीवन कौशल व आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एम ट्रस्ट नामक स्वयं सेवा संस्था काई नई दिल्ली के द्वारा विकास खण्ड बेहजम व मितौली के राजकीय, सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा एवं किशोरी बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु निःशुल्क जीवन कौशल व आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है।

अतः आप समस्त को आदेशित/निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रशिक्षण हेतु एम ट्रस्ट नामक स्वयं सेवा संस्था काई नई दिल्ली द्वारा नामित प्रशिक्षकों को पूर्ण सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

नोट- उक्त प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जायेगा। अतः किसी भी छात्र/छात्रा से किसी प्रकार की कोई धनराशि न ली जाये।

जिला विद्यालय निरीक्षक,
लखीमपुर-खीरी।

पृ0सं0: व दिनांक: उक्तवत्।

प्रतिलिपि: निम्न लिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-जिलाधिकारी महोदय, लखीमपुर-खीरी।
- 2-मुख्य विकास अधिकारी लखीमपुर-खीरी।
- 3-विकास खण्ड स्तरीय नोडल अधिकारी, ब्लाक बेहजम एवं मितौली, जनपद खीरी।
- 4-नाज फात्मा समन्वयक, एम ट्रस्ट नामक स्वयं सेवा संस्था काई नई दिल्ली।

जिला विद्यालय निरीक्षक,
लखीमपुर-खीरी।